<u>प्रेस नोट दिनांक 09.02.2025</u> थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।

थाना बिथरी चैनपुर #bareillypolice द्वारा भैंस चोरी की घटना का सफल अनावरण कर शातिर 04 चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से एक कुल्हाडी, एक छुरी, बांका,रस्सी व 18,600 रुपये व एक पिकअप गाड़ी UP25GT4363 बरामद।

दिनांक 25.01.2025 को वादी श्री दिलीप पुत्र सतपाल निवासी ग्राम नवदिया झादा, थाना बिथरी, चैनपुर, जिला बरेली द्वारा दी गयी तहरीर वाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर के आंगन से 04 भैंसें चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिथरी चैनपुर, बरेली पर मु०अ०सं० 51/2025 धारा 303 बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बिथरी चैनपुर द्वारा थाना पुलिस टीम के साथ मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 09.02.2025 को मु॰अ॰सं॰ 51/2025 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण कर उड़ला नहर के पास जंगल में रास्ते से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.नईम पुत्र अनसार उर्फ अलीजान निवासी ग्राम पदारथपुर थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली उम्र 22 वर्ष 2.मौहम्मद नवी पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी ग्राम उड़ला जागीर थाना बिथरी चैनपुर जनपद वरेली उम्र 21 वर्ष 3.इकवाल अली पुत्र पप्पू शाह निवासी ग्राम श्याम नगर गोटिया थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली उम्र 25 वर्ष 4.सरीफ पुत्र शब्बीर कुरैशी निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना शाही जनपद बरेली उम्र 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक अदद कुल्हाडी, एक अदद छुरी, बांका व रस्सी व 18,600/- रुपये व एक पिकअप गाड़ी UP25GT4363 बरामद हुयी है। पिकअप गाड़ी को नियमानुसार सीज किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों ने दिनांक 22.01.25 की रात्रि में ग्राम नवदिया झादा से 04 भैसे चोरी की थी। जिनको हम लोगों ने 40-40 हजार रुपये में मौहम्मद शानू पुत्र मौहम्मद रहीस अहमद निवासी ग्राम मुडिया जागीर थाना देवरनिया जनपद बरेली को बेचा था। जो रुपये मिले थे, हम सभी लोगों ने आपस में 10-10 हजार रुपये बांट लिये थे। अभियुक्तगण को माननीय न्यायायल के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है।अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानों व जनपदों से जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.नुईम पुत्र अनुसार उर्फ अलीजान निवासी ग्राम पदारथपुर थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली उम्र 22 वर्ष,

2.मौहम्मद नवी पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी ग्राम उड़ला जागीर थाना बिथरी चैनपुर जनपद वरेली उम्र 21 वर्ष,

3.इकवाल अली पुत्र पप्पू शाह निवासी ग्राम श्याम नगर गोटिया थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली उम्र 25 वर्ष

4.सरीफ पुत्र शब्बीर कुरैंशी निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना शाही जनपद बरेली उम्र ४२ वर्ष

वांछित अभियुक्तः-मौहम्मद शानू पुत्र मौहम्मद रहीस अहमद निवासी ग्राम मुडिया जागीर थाना देवरनियां, बरेली।

आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त नईम उपरोक्त

1.मु०अ०सं०-८६९/१९ धारा ६० एक्स एक्ट थाना इज्जतनगर, बरेली।

2.मुं0अ0सं0-203/23 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।

3.मुँ०अ०सं०-४३/२५ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट व ११ पशु क्रूरता अधिनियम व १०९ बीएनएस थाना भुता, बरेली।

4.म्०अ०स०-51/2025 धारा 303(२) बीएनएस थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।

अभियुक्त मौहम्मद नवी उपरोक्त-

1.मु॰अ॰स॰-51/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।

अभियुक्त इकवाल अली उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0-134/20 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
- 2.मु०अ०सं०-136/20 धारा ४/25 आर्म्स एक्ट थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
- 3.मू०अ०सं०-२०३/२३ धारा २/३(१) गैंगस्टर एक्ट थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
- 4.मुं०अ०स०-51/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।

अभियुक्त सरीफ उपरोक्त-

- 1.मु०अ०सं०-४०५/18 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट व 11, 3 पशु क्रुरता अधिनियम व 307 भादवि थाना फरीदपुर, बरेली।
- 2.मु०अ०सं०-२६/२३ धारा २/३ गैंगस्टर एक्ट थाना शाही, बरेली।
- 3.मु0अ0सं0-59/17 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट थाना शाही, बरेली।
- 4.मुं0अ0सं0-70/14 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना शाही, बरेली।
- 5.मुं०अ०सं०-157/17 धारा ३७१ भादवि थाना शाही, बरेली।
- 6.मु॰अ॰स॰-51/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।

बरामदगीः-

- १-एक अदद कुल्हाडी
- 2-एक अदद छुरी व
- 3-एक अदद बांका
- 4-रस्सी
- 5- 18,600 रुपये
- 6-एक पिकअप गाडी UP25GT4363

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1.श्री अभिषेक कुमार प्रभारी निरीक्षक बिथरी चैनपुर, बरेली।
- 2.व0उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
- 3.उ0नि0 श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
- 4.हे0का० ५६८ तिरमल सिंह थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
- 5.का० ९७३ मुर्तजा हसन थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।